

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9508

दिनांक: 28-09-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), (कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- ईवीएम मशीन (M3A / MPSV/ MPMV) के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी/मतदान दलों को महत्वपूर्ण निर्देश बाबत।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2026 में ईवीएम मशीन के माध्यम से संपादित करवाये जायेंगे। इस हेतु इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा निर्मित MPMV मॉडल की ईवीएम मशीन के उपयोग के संबंध में मतदान दलों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशा निम्नानुसार है:-

A. मतदान दलों के प्रस्थान के समय मतदान दलों द्वारा ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

संदर्भ:- आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 एवं 5468 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या A के उप बिन्दु 8 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

सुनिश्चित करें कि MPMV / MPSV मॉडल की मशीनों की समस्त बैलेट यूनिट का END बटन MASK है।

नोट:- सभी प्रकार की ईवीएम मशीन (M3A / MPSV/ MPMV) में सीयू के पॉवर स्विच को ऑन करके प्रदर्शन के क्रम को निम्नानुसार जांच करें:-

(i) डिस्प्ले पैनल पर यदि INOPERATIVE अथवा TRNG not connected अथवा ERROR-3 प्रदर्शित हो रहा है तो पर सीयू को परिवर्तित करावें।

B. मतदान दिवस के दिन मॉकपॉल करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

संदर्भ:- आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 एवं 5468 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या B में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. सीयू के पॉवर स्विच को ऑन करके प्रदर्शन के क्रम को निम्नानुसार जांच करें:-

(i) M3A मॉडल की EVM में डिस्प्ले पैनल पर यदि INOPERATIVE अथवा TRNG not connected अथवा ERROR-3 प्रदर्शित होने पर सीयू को परिवर्तित करावें।

(ii) M3A मॉडल की EVM में PADU not connected प्रदर्शित होने पर सीयू को बीयू से कनेक्ट कर CRC प्रक्रिया को पूर्ण करें। यदि फिर भी यही ERROR प्रदर्शित हो रहा है तो सीयू को परिवर्तित करावें।

(iii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में ERROR-3 प्रदर्शित होने पर सीयू को परिवर्तित करावें।

C. मतदान के दौरान

संदर्भ:- आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या C के उप बिन्दु 2 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

डिस्प्ले पैनल पर यदि 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है तो सीयू एवं बीयू के कनेक्शन को हटाकर पुनः कनेक्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि दोनों बीयू का अनुक्रम (Sequence) सही हो अर्थात् प्रथम बीयू (जिला परिषद सदस्य के लिए) को

कन्ट्रोल यूनिट से एवं उसके पश्चात् द्वितीय बीयू (पंचायत समिति सदस्य के लिए) को प्रथम बीयू से कनेक्ट की जावे। इसके उपरांत भी 'LINK ERROR/BU NOT RESPONDING' प्रदर्शित हो रहा है तो पूरा सैट (बीयू एवं सीयू दोनों) परिवर्तित (Change) करावें।

संदर्भ:- आयोग के पूर्व पत्रांक 5475 एवं 5468 दिनांक 04.08.2026 के बिन्दु संख्या C में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

- (i) M3A मॉडल की EVM में डिस्प्ले पैनल पर INOPERATIVE अथवा TRNG not connected प्रदर्शित होने पर रिटर्निंग अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करावें एवं रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में ERROR-3 प्रदर्शित होने पर सीयू व बीयू के पूरे सैट को परिवर्तित करावें। उक्त खराब हुई मशीन का उपयोग मतदान प्रक्रिया में हो जाने के कारण इस मशीन को परिवर्तित मशीन के साथ जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

D. मतगणना के दौरान

- (i) M3A मॉडल की EVM में डिस्प्ले पैनल पर INOPERATIVE अथवा TRNG not connected प्रदर्शित होने पर रिटर्निंग अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करावें एवं रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में ERROR-3 प्रदर्शित होने पर अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं प्राप्त करते हुए मतगणना की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- (iii) MPSV/MPMV मॉडल की EVM में under vote की संख्या शून्य के अलावा प्रदर्शित होने पर परिणाम में उक्त संख्या को रिजेक्टेड मतों में शामिल करते हुए अंतिम परिणाम सीट तैयार करें।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 28.09.2026

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9509-14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

सहायक सचिव